तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर** **सरकार बनाम बींझाराम**	
	एकलपीठ **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :-** श्रीमती पूनम माथुर, उप राज. अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, -- **दिनांक : 09 दिसम्बर, 2019** **आदेश** 1. यह रेफरेंस कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा-82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 7-2-2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है अप्रार्थी / वादी बींझाराम ने एक वाद संख्या-107/87 न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) कोलायत, बीकानेर के समक्ष राजस्थान सरकार व बिरदाराम के विरूद्ध धारा-88, 15(AAA), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1055 एवं धारा-125, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 20 डी.ओ.बी.बी. के मुरब्बा नम्बर-37/2015 के किला नम्बर-4 लगायत 9, 11 लगायत 25 कुल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर** **सरकार बनाम बींझाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किता 21 रकबा 21 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में संवत 2012 से चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 का नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या–2 ने कभी काश्त नहीं की और न ही उसका कब्जा रहा है। संवत 2012 से पूर्व जैसलमेर रियासत में कोई राजस्व रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता था और न ही कोई लगान की रसीदें दी जाती थीं इसलिये वादी के पास कोई राजस्व रिकार्ड नहीं है। संवत 2012 में बिना कब्जे काश्त की जांच किये विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज कर दी जबकि प्रतिवादी संख्या–2 का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिये राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–2 का नाम काटा जाकर वादी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या–2 बिरदाराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या–1 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं वाद पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया और कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या–2 बिरदाराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। मौके पर विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या–2 का ही कब्जा है तथा वादी का कोई कब्जा नहीं है। पूर्व में जगमाल, लालूराम, बिड़दाराम पिसरान खिराजराम कौम विश्नोई के नाम शामलात खाते में कुल 599 बीघा चाही व 194 बीघा बारानी चकबंदी से बाहर गैर खातेदारी की भूमि थी जो सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **<u>रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर</u>** **सरकार बनाम बींझाराम**	
	संख्या-102/85 फैसला तिथि 21-5-1985 से खाता विभाजन होकर इनके खाते अलग अलग होकर व ई. नंबर-8 दिनांक 25-11-1985 से दर्ज हुआ जिसके अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या-2 के हिस्से में आई व उसके नाम दर्ज हुई। वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने सीलिंग से बचने के लिये उक्त हस्तान्तरण किया है क्योंकि गैर खातेदारी भूमि का बेचान नहीं हो सकता है इसलिये यह काल्पनिक कहानी गढ़ी गई है। अतः दावा खारिज किया जाये। 3- अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की :- (1) आया विवादित कृषि भूमि चक 20 डी.ओ.वी.वी. के मु.नं. 37/15, 4 ता 9/6, 11 ता 25/15 कुल 29 बीघा भूमि वादी की पुराने कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमि है। (2) आया विवादित कृषि भूमि पर वादी का हक एवं अधिकार है प्रतिवादी बिड़दाराम का नाम रेकार्ड में गलत अंकित हुआ है। (3) आया विवादित कृषि भूमि मौके के कब्जा काश्त एवं शहादत सबूत के आधार पर वादी अपना नाम रेकार्ड में अंकित करवाने के का अधिकारी है। (4) अनुतोष, 4- गवाह भंवरलाल, जगमाल, रणजीताराम, बस्तीराम की साक्ष्य दर्ज की गई। दिनांक 14-9-1987 को बींझाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद पत्र में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर** **सरकार बनाम बींझाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर सही अंकित नहीं किये है। मौके पर चक 20 डी.ओ.बी.बी. के मुरब्बा नम्बर 37/22 के किला नम्बर-18 रकबा 16 बिस्वा, 19 से 23 रकबा 5 बीघा, 24 रकबा 6 बिस्वा किता 7 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, मु. नं. 37/23 के किला नम्बर-1 से 3 रकबा 3 बीघा, 4 रकबा 13 बिस्वा, 6 रकबा 19 बिस्वा, 8 से 13 रकबा 6 बीघा, 19 से 21 रकबा 3 बीघा, किता 14 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, मु.नं. 37/14 के किला नम्बर-25 रकबा 1 बीघा, मु.नं. 37/15 के किला नम्बर-5 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि है जिस पर कब्जा काश्त वादी का है अतः वाद पत्र में उक्तानुसार संशोधन किया जाये। 5- तहसीलदार, उपनिवेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कोलायत नम्बर-2 मुख्यालय बज्जू ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या-2 बिड़दाराम पुत्र खिराजराम कौम विश्नोई के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि पर बिड़दाराम का ही कब्जा काश्त है। वादी का कोई कब्जा नहीं है। वाद पत्र में अंकित भूमि व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि दोनों ही प्रतिवादी संख्या-2 बिड़दाराम की खातेदारी में अंकित है और वादी का दोनों ही भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। 6- प्रतिवादी संख्या-2 बिड़दाराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 13-10-1987 को पुनः नये खसरा नम्बर बाबत इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर** **सरकार बनाम बींझाराम**	
	7- पत्रावली में कोई राजस्व रिकार्ड संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त, उपनिवेशन कोलायत ने बिना तनकियों पर विवेचन किये दिनांक 19-10-1987 को दावा डिक्री कर दिया और संशोधित खसरा नम्बर रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर वादी को गैर खातेदार घोषित कर दिया एवं प्रतिवादी के नाम से उक्त भूमि को हटाने का आदेश प्रदान कर दिया। 8- न्यायालय कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने रेफरेन्स नम्बर-49/1992 तैयार कर दिनांक 7-2-2005 द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया है। 9- अप्रार्थी बिंझाराम को जरिये नोटिस व रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया, लेकिन अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। 10- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के एकदम विपरीत जाकर, बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये केवल वाद पत्र के आधार पर वादी का प्रतिकूल कब्जा विवादित आराजी पर मानते हुये वाद डिक्री कर दिया। इसलिये यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के	

W.R.

रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर

सरकार बनाम बींझाराम

निर्णय व डिक्री दिनांक 19-10-1987 को निरस्त किया जाये।

11- हमने विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

12- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने अपना वाद बिना राजस्व रिकार्ड के प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार ने जवाब दावा में कथन किया है कि विवादित भूमि बिड़दाराम की गैर खातेदारी की भूमि है जिस पर उसी का कब्जा काश्त है, वादी का कोई संबंध इस भूमि से नहीं है लेकिन विद्वान सहायक आयुक्त, उपनिवेशन कोलायत ने बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये, केवल इकबाल दावा व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जा मानते हुये बिना तनकियों का विवेचन किये दावा डिक्री कर चक 20 डी.ओ.बी.बी. के मुरब्बा नम्बर 37/22 के किला नम्बर-18 रकबा 16 बिस्वा, 19 से 23 रकबा 5 बीघा, 24 रकबा 6 बिस्वा किता 7 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, मु. नं. 37/23 के किला नम्बर-1 से 3 रकबा 3 बीघा, 4 रकबा 13 बिस्वा, 6 रकबा 19 बिस्वा, 8 से 13 रकबा 6 बीघा, 19 से 21 रकबा 3 बीघा, किता 14 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, मु.नं. 37/14 के किला नम्बर-25 रकबा 1 बीघा, मु.नं. 37/15 के किला नम्बर-5 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा का अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया और राजस्व रिकार्ड से बिड़दाराम का नाम

हटाने के आदेश पारित कर दिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88 व 15AAA तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–125 व 136 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकें।

13– वादीगण ने उक्त दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88 एवं धारा–15(AAA) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा–125, 136 के तहत प्रस्तुत किया है। धारा–88 के तहत केवल उन्हीं प्रकरणों में खातेदारी प्रदान की जा सकती है जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की तिथि 15–10–1955 से पूर्व से लगातार वैध कब्जा हो। इस प्रकरण में वादीगण का दिनांक 15–10–1955 से पूर्व वैध कब्जा नहीं है। केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरआरटी–2017(2) पेज–1139 में निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> **There that no provision in the Rajasthan Tenancy Act for conferment of Khatedari rights by adverse possession and therefore, no person can claim right by way of adverse possession againsts the State Government.**

14– इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

खातेदारी अधिकार प्रदान करने की स्थिति के संबंध में 5 सदस्यीय पूर्ण–पीठ का गठन किया गया था जिसने जगदीश बनाम सीताराम प्रकरण में दिनांक 3–6–2011 को जो निर्णय प्रदान किया है वह आरबीजे–2011 पेज–387 पर वर्णित है। इस निर्णय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बारे में विस्तृत विवेचन किया है और निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> "77- In View of what has been discussed above and the legal precedents, this Bench answers the questions raised by the referring D.Bl in the following manner :-
>
> (1) Whether the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page I has laid down a good law by providing for comferment / acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform ?
>
> Answer :- In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have nay provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.
>
> (2) Whether extinguishment of tenancy right under4 Section 63 (1) (iv) of the Act of 1955 creates

khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?

Answer: In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession?

(3) Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to and over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this court in 1991 RRD page 1?

Answer: In the opinion of this bench the Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.

(4) Whether the judgment of the Larger Bench as reported in RRD page 1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008 (1) RJ page 1101.

Answer: In the opinion of this bench the judgment of Larger Bench in Bagga Vs Surendra Singh as reported in 1991 RRD page 1 being not a good law, deserves to be set aside."

15- अतः राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल की पूर्ण-पीठ के निर्णयों से यह भली-भांति सिद्ध होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राद्भूत नहीं होते हैं। अतः इसी आधार पर यह दावा चलने योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकी को प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर** **सरकार बनाम बींझाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के खिलाफ निर्णीत करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है। 16- उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारा यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19-10-1987 मनमाना, विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। 17- फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) कोलायत, द्वारा पारित डिक्री निरस्त की जाती है। 18- आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **<u>रेफरेंस / टी.ए. / 2005 / 1301 / बीकानेर</u>** **सरकार बनाम बींझाराम**	